



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जानबूझ कर चोट पहुंचाने वाले 02 अभियुक्त को 06-06 माह का साधारण कारावास व 2,000- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-937/2015 धारा-307,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.मुन्नू पुत्र कल्लू 2.सन्तोष पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासीगण सिकन्दरपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते 06-06 माह का कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी
महेशचन्द्र द्विवेदी



विवेचक-
उ0नि0 दलबीर सिंह



पैरोकार
थाना- राठ
का0 प्रदीप भार्गव